न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/182

1. प्रहलाद आत्मज श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सतीश चन्द आत्मज राधा मोहन जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर ।
3. ललित किशोर आत्मज राधा मोहन जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. इशाक आत्मज सुल्तान जाति मुसलमान लुहार निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवा हाल निवासी 8–डी–2 विस्तार योजना विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा ।
2. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी ।
4. मदन लाल आत्मज गोपीलाल जाति तेली निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. अब्दुल नुन्नुन वल्द अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी पार्क के सामने की गली वार्ड नं0 15 लाखेरी जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 4 की ओर से ।
3. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कल्याणी खेडा तहसील नैनवा में पुराने खसरा नम्बर 128 रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 181, 182, 183, 184, 185 एवं 186 बने हैं । उक्त भूमि वादी को दिनांक 06.05.1965 को आवंटित हुई थी व नियमानुसार दिनांक 03.08.1965 को कब्जा दिया गया था । आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक वादी बहैसियत गैर खातेदार कृषक तत्पश्चात् बहैसियत खातेदार कृषक लगातार भूमि पर काबिज चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 01 को भी ग्राम कल्याणी खेडा में पुराने खसरा नम्बर 137 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 194 है । प्रतिवादीगण को अवैध व अनाधिकृत रूप से तथ्य छुपाते हुए मिलीभगत करके खसरा नम्बर 194 के बजाए विवादित भूमि अपने खाते लगवा ली और प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 3 की मिलीभगत से खाते लगवाकर भूमि प्रतिवादीगण कम 02 लगायत 3 को बेचान कर दी जबकि विवादित भूमि पर आज तक भी प्रतिवादीगण का कब्जा कभी भी नहीं रहा है । प्रतिवादीगण उक्त अवैध इन्द्राज की आड में वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने लगे हैं । प्रतिवादीगण का इन्द्राज प्रारम्भ से ही शून्य है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी का नाम बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर बलपूर्वक वादी को बेदखल कर कब्जा नहीं करे, उक्त भूमि को नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से वादी के हक व आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप करे । उक्त कृत्य न तो स्वंय प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत माणी में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.06.2016 के द्वारा वाद वादी डिकी कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.07.2016 नियत की थी । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उक्त वाद में दिनांक 01.02.2016 तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत माणी पर गुणावगुण पर निर्णय व डिकी पारित कर दिया । प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट प्रहलाद को ग्राम कल्याणी खेडा की खसरा नम्बर 137 की रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 06.05.1965 को आवंटित की जाकर नियामानुसार

कब्जा दिया गया था । उक्त भूमि प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 को नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई । वक्त आवंटन से ही प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 निरन्तर दखल की गई भूमि पर बेचान करने के पूर्व तक काबिज रहा । अपीलान्ट कम 1 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकग्र पत्र दिनांक 22.11.2006 को अपीलान्ट कम 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर भूमि पर अपीलान्ट कम 2 व 3 को कब्जा संभला दिया था जिस पर अपीलान्ट कम 2 व 3 निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर डिकी कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.07. 2016 नियत की थी । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उक्त वाद में दिनांक 01.02.2016 तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत माणी पर गुणावगुण पर निर्णय व डिकी पारित कर दिया । प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट प्रहलाद को ग्राम कल्याणी खेडा की खसरा नम्बर 137 की रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 06.05.1965 को आवंटित की जाकर नियामानुसार कब्जा दिया गया था । उक्त भूमि प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 को नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई । वक्त आवंटन से ही प्रतिवादी अपीलान्ट कम 01 निरन्तर दखल की गई भूमि पर बेचान करने के पूर्व तक काबिज रहा । अपीलान्ट कम 1 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकग्र पत्र दिनांक 22.11.2006 को अपीलान्ट कम 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर भूमि पर अपीलान्ट कम 2 व 3 को कब्जा संभला दिया था जिस पर अपीलान्ट कम 2 व 3 निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादी अपीलान्ट कम 2 व 3 कानूनन उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं । परीक्षण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 एवं उसके गवाहान से प्रतिवादी अपीलान्ट व वकील साहब को जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही तथा प्रतिवादीगण अपीलान्ट को अपनी ओर से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिकी पारित की है । लोक अदालत के माध्यम से केवल आपसी सहमति एवं बरूये राजीनामा निर्णय पारित किया जा सकता है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2021 (28) पेज 44, आरआरडी 1985 पेज 688, आरआरटी 2021 (1) पेज 209, आरआरटी 2015 (2) पेज 990 उद्वरत की।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कल्याणी खेडा तहसील नैनवा में पुराने खसरा नम्बर 128 रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है । उक्त

भूमि के नवीन खसरा नम्बर 181, 182, 183, 184, 185 एवं 186 बने हैं । उक्त भूमि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 को दिनांक 06.05.1965 को आवंटित हुई थी व नियमानुसार दिनांक 03.08.1965 को कब्जा दिया गया था । आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 बहैसियत गैर खातेदार कृषक तत्पश्चात् बहैसियत खातेदार कृषक लगातार भूमि पर काबिज चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 01 अपीलान्ट को भी ग्राम कल्याणी खेडा में पुराने खसरा नम्बर 137 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 194 है । अपीलान्ट अवैध व अनाधिकृत रूप से तथ्य छुपाते हुए मिलीभगत करके खसरा नम्बर 194 के बजाए विवादित भूमि अपने खाते लगवा ली और अपीलान्ट संख्या 02 लगायत 3 की मिलीभगत से खाते लगवाकर भूमि अपीलान्ट कम 02 लगायत 3 को बेचान कर दी जबकि विवादित भूमि पर आज तक भी प्रतिवादीगण का कब्जा कभी भी नहीं रहा है । नामान्तरकरण संख्या 18 अपीलान्ट प्रहलाद आत्मज रामनिवास के पक्ष में साबिक खसरा नम्बर 137 के नवीन खसरा नम्बर 182, 183, 184 गैरखातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया है जो गलत है । नवीन खसरा नम्बर 182, 183, 184 साबिक खसरा नम्बर 128 से बने हैं जिसमें अपीलान्ट प्रहलाद आत्मज रामनिवास को आवंटन न हो कर रेस्पोडेन्ट कम 01 इशाक मोहम्मद को आवंटित हुई है । रेस्पोडेन्ट को जो आवंटन दिनांक 06.05.1965 को खसरा नम्बर 128 में से 15 बीघा का हुआ है तथा कब्जा भी उसी पर दिया गया है । साबिक खसरा नम्बर 128 के नवीन खसरा नम्बर 182, 183 एवं 184 बने हैं । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 01 को आवंटित हुई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर डिकी कर दिया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार परीक्षण न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.05.2016 नियत की गई । दिनांक 13.05.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.07.2016 नियत की गई, परन्तु दिनांक 19.07.2016 से पूर्व ही उक्त प्रकरण को दिनांक 01.06.2016 को लोक अदालत कैम्प माणी में रखते हुए उसी दिन वादी का सुनकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिकी पारित कर दी । पत्रावली की आदेशिका से कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि पत्रावली दिनांक 01.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई हो ।

11. राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य में लम्बित था और नियत तारीख पेशी दिनांक 19.07.2016 से पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा